फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

शंकर लाल पिता दत्तक पुत्र भैरू गुर्जर निवासी मेघपुरा

बनाम

ईश्वर पिता उगमा भील निवासी मेघपुरा, वगैरह

मुकदमा नंबर 341/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम मेघपुरा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 141/7, 133/18, 265/139 कुल किता 2 रकबा 1.0800 व 1.2960 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी दवारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम मेघपुरा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 141/7, 133/18, 265/139 कुल किता 2 रकबा 1.0800 व 1.2960 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **अमरगढ** को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक– 13/05/2024

कमांक/रीडर/2024/2024 1341

निमित्त–

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः– प्र.स. 341/2024 अनवान शंकर लाल पिता दत्तक पुत्र भैरूं गुर्जर निवासी मेघपुरा बनाम ईश्वर पिता उगमा भील निवासी मेघपुरा, जगदीश पिता उगता भील निवासी मेघपुरा, देवकरण पिता भवाना गुर्जर निवासी मेघपुरा, मनसुख पिता गोपाल गुर्जर निवासी मेघपुरा, रामकरण पिता गोपाल गुर्जर निवासी मेघपुरा, रामनारायण पिता गोपाल गुर्जर निवासी मेघपुरा, जवाना पुत्र देबी गुर्जर निवासी मेघपुरा, फोरू पिता उदा गुर्जर निवासी मेघपुरा, रतनलाल पिता देबी गुर्जर निवासी मेघपुरा, चन्द्व पुत्र संग्राम गुर्जर निवासी मेघपुरा, रामेश्वर पिता संग्राम गुर्जर निवासी मेघपुरा, भेरू पिता जयराम गुर्जर निवासी मेघपुरा, रामलाल पिता जयराम गुर्जर निवासी मेघपुरा, मांगीलाल पिता भूरालाल अजमेरा निवासी मेघपुरा, फोरूलाल पिता नारायण गुर्जर निवासी मेघपुरा, बागा पुत्र भवाना गुर्जर निवासी मेघपुरा, सीताराम पिता चन्द्रा गुर्जर निवासी मेघपुरा, की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम मेघपुरा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 141/7, 133/18, 265/139 कुल किता 3 रकबा 1.0800 व 1.2960 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **अमरगढ** को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 2000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner